

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अपील संख्या 07/2022
बअनवान मांगी वगै. बनाम गुणेशा वगै.

नम्बर व तारीख
अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी
हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 24.01.2023

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री वीरमाराम चौधरी
2. रेस्पोंडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है व हिन्दु विधि से शासित है। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 की संयुक्त व पैतृक कब्जा काश्त की भूमि मौजा पटवार मंडल बेरीगांव के ग्राम बेरीगांव के खेत खसरा संख्या 137/1, 139, 146/3 रकबा क्रमशः 13.11, 03.08, 03.07 बीघा कुल रकबा 20.06 बीघा में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा आया हुआ है। वर्तमान में उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलार्थीगण के ग्रामीण व अनपढ का फायदा उठाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 से 05 द्वारा अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 08 को बेचान कर दिया है। अब अपीलार्थीगण को कब्जा काश्त से बेदखल की धमकियां दे रहे है। अपीलार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ वाद मय अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन मातहत अदालत में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोंडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोंडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अपीलांट को रेस्पोंडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर


क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोंडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की गई। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से आवेदन खारिज किये गये। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काशत नहीं है। अपीलांटगण के हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना न की आवेदन 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम से। उतरदातागण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिनक विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाता है तो अपीलांटगण उसकी आड़ में उतरदातागण के कब्जा काशत में हस्तक्षेप करेंगे जिससे उतरदातागण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोंडेंटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम के आवेदन में पारित किया गया है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काशतकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना-पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि पत्रावली कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना/नोटिस अपीलांटगण को नहीं किया गया। कैम्प कोर्ट में राजीनामा के आधार पर आदेश पारित किये जा सकते है जबकि हस्तगत प्रकरण में कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दर्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। मूल दावे के विचारण में रहते अपीलांटगण के कब्जा काशत में रेस्पोंडेंटस द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवेदन संख्या 11/2020 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2021 को अपास्त किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रेस्पोंडेंटस को पाबंद किया जाता है कि वे मौजा बेरीगाव के खेत खसरा संख्या 137/1, 139, 146/3 में वर्णित भूमि के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 24.01.2023 को सुनाया गया।


(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर